

Prospectus



MASIH SEVASHRAM INTER COLLEGE

Affiliated to U.P. Board

Nichloul, Maharajganj - 273 304

E-mail : msanichloul@gmail.com // Web.: www.msichnichloul.co.in

Mob.: 7565990208, 9936819590







MASIH SEVASHRAM INTER COLLEGE

Affiliated to U.P. Board

Nichloul, Maharajganj - 273 304

E-mail : msanichloul@gmail.com // Web.: www.msichnichloul.co.in

Mob.: 7565990208, 9936819590

मार्ग-दर्शक पुस्तिका एवं दैनन्दिनी

1. मसीह सेवाश्रम इण्टर कॉलेज, निचलौल, Catholic Diocese of Gorakhpur Education Society द्वारा संचालित है।
2. 'प्रभु ईसा मसीह' के नाम में मानव जाति की सेवा करना इस संस्था का प्रेरणा स्रोत है। विद्यालय का उद्देश्य प्रत्येक जाति, धर्म के बालक-बालिकाओं को शिक्षित करना है।
3. बच्चों की दक्षता और प्रतिभा के अनुसार उनका सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास ही शिक्षा है। इसलिए विद्यालय पाठ्य तथा पाठ्येत्तर सम्बन्धी दोनों ही विषयों को महत्त्व देता है। जिससे बच्चों का चारित्रिक निर्माण और बौद्धिक विकास हो जो ईश्वर और मानवजाति के लिए समर्पित हो।
4. संस्था के पठन-पाठन का माध्यम हिन्दी है। अंग्रेजी अनिवार्य विषय के रूप में के0 जी0 (शिशु) से पढ़ाई जाती है।
5. बच्चों के कुशल अधिगम हेतु प्रोजेक्टर (Smart Class) विधि से पठन-पाठन हेतु की व्यवस्था।



प्रवेश एवं निष्कासन

1. यू0के0जी0 तथा अन्य कक्षाओं में रिक्तियों के आधार पर प्रवेश दिया जाता है।
2. बच्चों का प्रवेश उनके योग्यता-क्रम पर आधारित है।
3. जिन बच्चों को एल0के0जी0 कक्षा में नहीं, वरन् अन्य कक्षाओं में प्रवेश पाना है, उन्हें अपने साथ स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (अन्तिम शिक्षा-सदन/विद्यालय) से लाना होगा।
4. बच्चों की सही जन्म-तिथि और नाम देना जरूरी है। जो जन्म-तिथि एक बार विद्यालय में दी गई है, उसमें पुनः किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं हो सकेगा।
5. जो छात्र एक ही कक्षा में लगातार दो बार अनुत्तीर्ण होगा उसे विद्यालय से निष्कासित कर दिया जायेगा।
6. यदि छात्र लगातार 15 दिनों तक बिना प्रार्थन पत्र दिए अनुपस्थित रहता है तो उसे पुनः प्रवेश लेना होगा।



उपस्थिति और अवकाश

1. बच्चों को प्रोन्नति के लिए नियमित 50% उपस्थिति अनिवार्य है।
2. बच्चों को पहली घंटी से 15 मिनट पूर्व विद्यालय में पहुँच जाना है। यदि छात्र प्रार्थना होने के बाद आता है, तो उसे कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व प्रधानाचार्य से मिलना होगा।
3. अवकाश के मामलों में छात्र के अभिभावक या माता-पिता द्वारा लिखित आवेदन-पत्र देना अनिवार्य है।
4. बीमारी एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी मामलों के लिए चिकित्साधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र देना आवश्यक है।
5. सामान्यतः किसी भी छात्र को विद्यालय द्वारा निर्धारित समय-सारिणी के भीतर छुट्टी नहीं मिल सकती है। अति आवश्यक परिस्थितियों में छात्र के पिता (अभिभावक) या कोई जिम्मेदार व्यक्ति, जिसके पास छात्र के पिता (अभिभावक) का हस्ताक्षर किया हुआ पत्र हो, वे बच्चे को ले जा सकते हैं।
6. सभी विशेष अवसरों पर बच्चों की उपस्थिति अनिवार्य है, जैसे विद्यालय खुलने के दिन और बन्द होने के दिन, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, बाल दिवस, शिक्षक दिवस एवं अन्य आयोजित विशेष दिनों में। केवल शारीरिक रूप से असमर्थ होने पर ही इन विशेष अवसरों पर छुट्टी मिल सकती है।



विद्यालय का समय

1. सभी बच्चों को समय पर विद्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य है।
समय की सूचना उपर्युक्त समय पर प्रधानाचार्य द्वारा सूचित की जायेगी।
2. बच्चों को समय से विद्यालय पहुँचाने के लिए बच्चों के माता-पिता या अभिभावक जिम्मेदार होंगे।
बच्चों के आने जाने की सुविधा एवं व्यवस्था का प्रबन्ध उनको अपनी सुविधानुसार करना होगा।

परिधान

कक्षा के अनुसार स्कूल डायरी में दिये हुए परिधानों को दिनानुसार सख्ती से ही पहनकर बच्चे विद्यालय आयें।

शुल्क

1. छात्रों से प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क एवं परीक्षा शुल्क (Composite Fee) अनिवार्य रूप से लिया जाता है और अन्य निर्धारित शुल्क भी लिया जाता है।
2. विद्यालय में नामांकन किसी भी माह में हो विद्यालय शुल्क अप्रैल माह से देना होगा। जिस माह का Fee Installment है, उस माह के 15 तारीख तक बिना विलम्ब शुल्क के साथ जमा होना है। उस माह के 15 तारीख के बाद निर्धारित विलम्ब शुल्क के साथ विद्यालय शुल्क जमा होगा।
3. यदि विद्यालय वाहन (बस) से आना चाहते हैं तो दो/तीन माह की बस शुल्क पहले महीने के 10 तारीख तक जमा करने के बाद ही वाहन में बैठने की अनुमति मिल सकती है।

सर्वांगीण विकास

1. विद्यालय में खेल-कूद की अतिरिक्त व्यवस्थाएँ उपलब्ध है।
2. सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा बच्चों के अंदर छुपे हुनर को उजागर किया जाता है।
3. प्रतिमाह वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है।

परीक्षाएँ और प्रोन्नति

1. विद्यालय का पठन पाठन तीन सत्रों में बटा हुआ है। प्रत्येक सत्र के समाप्त होने पर परीक्षाएँ संचालित होती हैं।
2. इन तीनों परीक्षाओं के अतिरिक्त बच्चों की मासिक उपलब्धि जाँचने के लिए दो मासिक परीक्षाएँ संचालित की जाती हैं। बच्चों की प्रोन्नति इन समस्त परीक्षाओं त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों के आधार पर की जाती है। प्रोन्नति 25% त्रैमासिक मासिक, 25% अर्द्धवार्षिक तथा 50% वार्षिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होता है।
3. त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के बाद या जब कभी भी आवश्यकता महसूस हो, बच्चों के माता-पिता (अभिभावक) को प्रधानाचार्य से मिलना होगा। बच्चों के अध्ययन, विकास और सुधार सम्बन्धी परामर्श लेना होगा।
4. छात्रों का वार्षिक प्रोन्नत या उत्तीर्ण होना सशक्त बौद्धिक विकास एवं प्रत्येक क्रिया-कलापों के अतिरिक्त उचित विकास पर आधारित है।
5. निर्धारित परीक्षा समय के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की पुनः परीक्षा नहीं होगी।

सामान्य नियम

1. सभी छात्र अपनी वस्तुओं और चीजों के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा।
2. विद्यालय के संसाधन का देख रेख विद्यार्थियों के द्वारा किया जाता है। अगर विद्यालय के किसी वस्तु की क्षति जिस बच्चे द्वारा की जाएगी, उसकी क्षति-पूर्ति के लिए उस बच्चे से उस वस्तु के बराबर का जुर्माना वसूला जायेगा।

3. यदि छात्र किसी गंभीर संक्रामक रोग से ग्रस्त है तो उसे विद्यालय नहीं आना चाहिए।
4. प्रत्येक छात्र को विद्यालय के प्रत्येक क्रिया-कलाप में भाग लेना अनिवार्य है। यदि वह शारीरिक रूप से अस्वस्थ है तो चिकित्सा-प्रमाण-पत्र देना होगा।
5. सब विद्यार्थियों को प्रतिदिन के पाठ की तैयारी तथा गृह-कार्य पूरा करके ही विद्यालय आना है।
6. सबको स्वच्छता के साथ विद्यालय आना है साथ ही साथ सामाजिक स्वच्छता बनाये रखने के लिए विद्यालय में की गई कूड़ादानों का प्रयोग जिम्मेदारी के साथ करते हुए स्कूल प्रांगण को कूड़े कचरों से दूर रखना है।
7. छात्र अपने बाल सामाजिक तौर पर स्वीकार किये गये तौर तरीकों से कटवाए एवं छात्राएँ निर्धारित रूप से अपने बाल बना के विद्यालय आये ताकि साथ बैठे बच्चों के लिए कोई बाधा या परेशानी न हो एवं विद्यालय में मर्यादा से रह सके।



माता-पिता के लिए सलाह

1. हर माता-पिता से आशा की जाती है कि वे स्कूल के अधिकारियों के साथ सहयोग करेंगे। इसके लिए उनको अपने बच्चों में समय, नियम, अनुशासन आदि का पालन और अध्ययन की भावना का विकास करना होगा।
2. माता-पिता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के पास पढ़ाई की सामग्री जरूर के अनुसार हो।
3. माता-पिता / अभिभावक को समय-समय पर अपने बच्चों के अध्यापकों से/प्रधानाचार्य से मिलना है। अभिभावक बैठक के दिनों एवं विशेष रूप से उन्हें बुलाया जाए तो अवश्य दिये हुए समय पर विद्यालय में जरूर उपस्थित रहें।
4. माता-पिता से निवेदन किया जाता है कि कक्षाओं में प्रवेश न करें। सभी प्रकार के मामले प्रधानाचार्य द्वारा सुने जायेंगे।
5. जो बच्चों को लेने के लिए विद्यालय आते हैं, वे विद्यालय प्रांगण में विद्यालय के समय के भीतर खड़ा नहीं रहना है। प्रत्येक प्रकार की सवारियाँ विद्यालय प्रांगण के बाहर खड़ी करनी चाहिए।
6. अभिभावक को प्रधानाचार्य की आज्ञा के बिना अध्यापक से मिलने की अनुमति नहीं है।
7. बच्चों को विद्यालय में मोबाइल फोन एवं अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाना सख्त मना है। अगर विद्यालय में कोई भी उपकरण जब्त हुआ है तो उसे वापस नहीं मिलेगा।